भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 266

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दिव्यांग लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा

***266. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और
(ख) यदि हां, तो विभिन्न दिव्यांगता/लिंग/आयु वर्ग के लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 अगस्त, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 266 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें भारत की 40% निचली आबादी के 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के प्रयोजनार्थ अस्पताल में भर्ती किये जाने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रू. का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को दिव्यांगता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता, इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा रहे दिव्यांगजनों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

*****